अनुदान संख्या 41 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 41 - MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1196,60,00		1196,62,00	845,53,96	-351,08,04
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					348,05,52

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"					
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	105950.00				
पू.	S.	2.00		82148.55	81859.60	-288.95
पु.	R.	-23803.45				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	11010.00		12.00	..	-12.00
पु.	R.	-10998.00				

(I) ₹11026.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹11010.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर इस्तेमाल के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "खाद्य प्रसंस्करण – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹17888.95 लाख की बचत (मार्च 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹85218.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव न मिलने, कम संख्या में बैठकें/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹7008.73 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9138.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹4698.52 लाख की बचत (₹4734.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संगठनों/एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव न मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5519.80 लाख) प्रयुक्त हो गईं

(I) Provision of ₹11026.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹11010.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Food - Food Processing - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Food Processing - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹17888.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹85218.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in March, 2020) was due to non-receipt of viable proposals from organisations/agencies, conduction of less meetings/seminars/workshops and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹7008.73 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9138.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in March, 2020); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹4698.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4734.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from organisations/agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly (₹5519.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था :–

(I) "राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान" – ₹970.80 लाख।

(II) "भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹4549.00 लाख।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing" - under the following heads:-

(I) "National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management" - ₹970.80 lakhs.

(II) "Indian Institute of Food Processing Technology" - ₹4549.00 lakhs.